



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 15, 2019/पौष 25, 1940

No. 31]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 15, 2019/PAUSHA 25, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सं.02/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 31(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ (पारित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में यथा-विनिर्दिष्ट वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचनाओं को, जिन्हें निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी सा.का.नि. संख्या द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए छूट गई वस्तुओं के अलावा, निरस्त करती है।

तालिका

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	सा.का.नि. संख्या
(1)	(2)	(3)
1	30/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 30 मई, 2018	514(अ) दिनांक 30 मई, 2018
2	31/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 31 मई, 2018	515(अ) दिनांक 30 मई, 2018

[फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**New Delhi, the 15th January, 2019**No. 02/2019-Customs (ADD)**

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) as specified in column (2) of the Table below, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* corresponding number G.S.R. as specified in column(3) of the said Table, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

TABLE

S.No.	Notification No.	GSR No.
(1)	(2)	(3)
1.	30/2018-Customs (ADD), dated 30-05-2018	514(E) dated 30-05-2018
2.	31/2018-Customs (ADD), dated 30-05-2018	515(E) dated 30-05-2018

[F.No. 354/211/2016-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2019

सं. 03/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 32(अ).— जब कि बांग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्रिवन (मल्टीपल फोल्डेड/केबलड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- (i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;
- (ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;
- (iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;
- (iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जब कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपादन शुल्क लगाया था;

और जब कि मैसर्स जनता जूट मिल्स लि. (उत्पादक) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/10/2017-डीजीएडी, दिनांक 01 जनवरी, 2018 जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अंतिम आंकलन किया जाए, जिसे सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 30/2018 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 मई, 2018 के माध्यम से, जिसे 30 मई, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचित किया गया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 7/10/2017- डीजीएडी, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में अपने अंतिम निष्कर्ष के माध्यम से जिसे दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दी गई परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर, केवल उत्पादक/निर्यातक को ही प्रतिपादन उपाय के रूप में माना जाता है, मूल जांच में गैर-सैंपल श्रेणी के लिए सिफारिश की गई थी और तदनुसार सिफारिश की है कि निम्नलिखित अनुसार प्रविष्टि 47 को अधिसूचना सं. 14/19/2015- डीजीएडी, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के मौजूदा ड्यूटी तालिका में शामिल किया जाए-

क्र. सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण*	विशेषता	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47.	5307,5310,5607 या 6305	टाट बैग (सैकिंग बैग्स)	सभी रूपों और विशिष्टताओं में	बांग्लादेश	बांग्लादेश	जनता जूट मिल्स लि.	जनता जूट मिल्स लि.	125.21	यूएस\$/एमटी";

और जहां कि मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लि. (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में उक्त सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए भी अनुरोध किया था और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना सं. 7/23/2017-डीजीएडी, दिनांक 24 जनवरी, 2018 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, में दिनांक 24 जनवरी, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अंतिम आंकलन किया जाए, जिसे समर्थित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं. 31/2018- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 30 मई, 2018 के तहत अधिसूचित किया गया था व भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3,

उप- खण्ड (i) दिनांक 30 मई, 2018 को सा.का.नि. संख्या 515 (अ), दिनांक 30 मई, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था।

और जहाँ कि, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/23/2017- डीजीएडी, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया था, के अपनी अंतिम परिणामों में मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लि. (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) के लिए न्यू शिपर रिव्यू जांच को समाप्त कर दिया और यह सिफारिश की कि उत्पादक/निर्यातक अधिसूचना सं. 01/2017- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 5 जनवरी, 2017 की ड्यूटी तालिका में अवशिष्ट श्रेणी के अनुसार आंकलित होना जारी रखेंगे।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 1/2017- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी 2017 की अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), संख्या सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के तहत निम्नलिखित और आगे भी संशोधन, एतद्वारा, करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में:-

- (i) तालिका में, क्रम सं. 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद और तत्संबंधी प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
"47.	5307,5310,5607 या 6305	टाट बैग (सेकिंग बैग्स)	सभी रूपों और विशिष्टताओं में	बांग्लादेश	बांग्लादेश	जनता जूट मिल्स लि.	जनता जूट मिल्स लि.	125.21	यूएस\$/एमटी";

- (ii) तालिका के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण:- मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लि. (उत्पादक) और मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर) द्वारा विषयगत वस्तुओं के निर्यात को इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त तालिका में विनिर्दिष्ट अवशिष्ट श्रेणियों के तहत अंतिम रूप से आंकलित किया जाएगा।”।

[फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. सं. 11(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), सा.का.नि. संख्या 330 (अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित इसे अधिसूचना सं. 11/2017- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक, 2017, के द्वारा आखिरी बार संशोधित किया गया था।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 15th January, 2019**No. 03/2019-Customs (ADD)**

G.S.R. 32(E).—Whereas, in the matter of import of ‘Jute Products’ namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as subject countries) and imported into India, the designated authority, in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I vide notification No. 14/19/2015-DGAD, dated the 20th October, 2016, had come to the conclusion that-

- (i) there is dumping of subject goods from the subject countries;
- (ii) imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry;
- (iii) performance of domestic industry has deteriorated in the terms of profitability return on investments and cash flow;
- (iv) injury to domestic industry has been caused by dumped imports,

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from, the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017, published vide number G.S.R. 11(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th January, 2017;

And whereas, M/s. Janata Jute Mills Limited (Producer) had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, vide new shipper review notification No. 7/10/2017-DGAD, dated the 1st January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 1st January, 2018, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it, which was notified vide enabling Customs notification No. 30/2018-Customs (ADD) dated the 30th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 514(E), dated the 30th May, 2018;

And whereas, the designated authority, vide its final findings in notification No. 7/10/2017-DGAD, dated the 22nd November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd November, 2018 has come to the conclusion that in the given circumstances and facts of the case, the producer/exporter can only be considered for an Anti-Dumping measure as recommended for the non-sampled category of exporters in the original investigation and accordingly recommended that entry 47 be added to the existing duty table of the notification No. 14/19/2015-DGAD, dated the 20th October, 2016 as under:-

Sl No.	Heading	Description of goods *	Specifications	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
47.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	In all forms and specifications	Bangladesh	Bangladesh	Janata Jute Mills Ltd.	Janata Jute Mills Ltd.	125.21	US\$/MT

And whereas, M/s. Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer) and M/s. IB Jute Corporation (Exporter/ Trader) had also requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, vide new shipper review notification No. 7/23/2017-DGAD, dated the 24th January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 24th January, 2018, had recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated parties till the completion of the review by it, which was notified vide enabling Customs notification No. 31/2018-Customs (ADD) dated the 30th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 515(E), dated the 30th May, 2018;

And whereas, the designated authority, vide its final findings in notification No. 7/23/2017-DGAD, dated the 22nd November, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd November, 2018 terminated the New Sipper Review investigation for M/s. Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer) and M/s. IB Jute Corporation (Exporter/ Trader) and recommended that the producer/exporter would continue to be assessed as per residual category of duty table of the notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th of January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th of January, 2017, namely:-

In the said notification,-

- (i) in the Table, after Serial number 46 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
“47.	5307, 5310, 5607 or 6305	Sacking Bags	In all forms and specifications	Bangladesh	Bangladesh	Janata Jute Mills Ltd.	Janata Jute Mills Ltd.	125.21	US\$/MT”;

- (ii) after the Table and the entries relating thereto, the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the purposes of this notification, the exports of subject goods by M/s. Aman Jute Fibrous Ltd. (Producer) and M/s. IB Jute Corporation (Exporter/ Trader) shall be finally assessed under the residual categories specified in the above Table.”.

[F. No. 354/211/2016-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note.- The principal notification No. 01/2017-Customs (ADD), dated the 5th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017 and was last amended by notification No. 11/2017-Customs (ADD), dated the 3rd April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 330 (E), dated the 3rd April, 2017.